**रा.आ.बैंक (न.दि.)/सीआरजीएफटीएलएच/140/15080/2013-14**

20 अक्तूबर, 2014

बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत)/आ.वि.कं. के सभी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण

महोदय/महोदया,

**विषय: निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना (सीआरजीएफएस) – पात्र आवास ऋण राशि 5 लाख रू. से बढ़ाकर 8 लाख रू. करने के संबंध में**

जैसा कि आपको विदित है कि सीआरजीएफएस को भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए आवास ऋण के संबंध में गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में, इस योजना में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों हेतु सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा बढ़ाया गया 5 लाख रू. तक का आवास ऋण कवर है।

पूर्वोक्त के संदर्भ में, हम सहर्ष सूचित करते हैं कि सीआरजीएफएस के तहत पात्र आवास ऋणों की अधिकतम सीमा को इच्छित और अधिक संख्या में अपेक्षित लाभार्थियों को योजना का लाभ देने हेतु 5 लाख रू. की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 8 लाख रू. कर दिया गया है।

8 लाख रू. की बड़ी हुई आवास ऋण सीमा दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी है। तदनुसार, दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 या उसके बाद शहरी क्षेत्रों के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए एमएलआई द्वारा बढ़ाया गया 8 लाख रूपए तक का आवास ऋण जीआरएसएफ के गारंटी कवर हेतु पात्र है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में अंचल/क्षेत्रीय/शाखा स्तर पर अपेक्षित निर्देश जारी करें।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

ह/-

(ललित कुमार)

महाप्रबंधक, रा.आ.बैंक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकरी, सीआरजीएफटीएलएच